अप्रार्थीः— तहसी...

उपस्थित —

प्रार्थी की ओर से — अधिवक्ता श्री रामकिशोर औझा

अप्रार्थी की ओर से— सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

—::निर्णय::—

दिनांकः—27/11/21

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि— प्रार्थी व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 432 रकबा 7.6647 हैक्टेयर, मौजा धुन्धाड़ा व खसरा नम्बर 341 रकबा 6.3616 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 358/1 रकबा 1.6997 हैक्टेयर मौजा ग्राम धुनाड़िया तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम अभयसिंह पुत्र प्रतापसिंह दर्ज है लेकिन प्रार्थी का वास्तविक नाम अमरजीतसिंह है। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों की भूलवश अभयसिंह दर्ज कर दिया गया जो गलत है। प्राथी के तमाम दस्तावेज आधार कार्ड, पेनकार्ड, भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड, आर्मी कार्ड इत्यादि में प्रार्थी का नाम अमरजीतसिंह दर्ज है। उक्त राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई है जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिस वजह से प्रार्थी को अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने बाबत् तमाम कार्य रूके हुए पड़े है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 432 रकबा 7.6647 हैक्टेयर मौजा धुन्धाड़ा व खसरा नम्बर 341 रकबा 6.3616 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 358/1 रकबा 1.6997 हैक्टेयर मौजा ग्राम धुनाड़िया तहसील ओसियां जिला जोधपुर में प्रार्थी का नाम

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner

अभयसिंह दर्ज कर रखा है जो गलत है उसके स्थान पर प्रार्थी का वास्तविक नाम अमरजीतसिंह दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें, तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम अभयसिंह पुत्र प्रतापसिंह के स्थान पर अमरजीतसिंह पुत्र प्रतापसिंह दर्ज करने की अनुशंसा की।

यह है कि बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम अमरजीतसिंह पुत्र प्रतापसिंह है, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र युक्तियुक्त आधारों पर आधारित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 432 रकबा 7.6647 हैक्टेयर मौजा धुन्धाड़ा व खसरा नम्बर 341 रकबा 6.3616 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 358/1 रकबा 1.6997 हैक्टेयर मौजा ग्राम धुनाड़िया तहसील ओसियां जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम अभयसिंह पुत्र प्रतापसिंह के स्थान पर वास्तविक नाम अमरजीतसिंह पुत्र प्रतापसिंह दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 27/1/24 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner